राजस्थान में जिला स्तरीय राजस्व प्रशासन

डॉ. प्रकाश इन्दालिया – सह आचार्य(लोक प्रशासन), माधव विश्वविद्यालय,पिण्डवाडा (सिरोही)

E-mail – dr.prakashindalia@gmail.com

सारांश: लोक प्रशासन की दृष्टि से भारत का जिला प्रशासन एक दोहरी इकाई है। राज्य सरकार की राजधानी से नीचे क्षेत्रीय प्रशासन होने के नाते जिला प्रशासन राज्य सरकार की समग्रता का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी ओर जिला ही वह छोटी इकाई है जो युगों से भारत में स्थानीय स्वराज का स्वरूप प्रदान करता है। इस प्रकार सामाजिक व राजनीतिक जीवन के दो महत्वपूर्ण कार्य 'सुरक्षा' एवं 'विकास' जिला प्रशासन की परिधी में आ जाते है। प्रशासनिक स्वतंत्रता एवं कार्यकुशलता के लिये इसे जनसंख्या एवं भूगोल की दृष्टि से भी उपयुक्त एवं पर्याप्त इकाई माना जाता है।

जिला कलेक्टर : जिला अधिकारियों में सर्वाधिक शक्तिशाली पद जिलाधीश या कलेक्टर का है। उसे जिले का शीर्षस्थ अधिकारी माना जाता है। उसे जिले में विकास का प्रतीक माना जाता है। वह जिले में बहुमुखी गतिविधियों का संचालन करता है।

सहायक कलेक्टर : राजस्व प्रशासन में सहायक कलेक्टर का पद पूर्ण रूप से न्यायिक कार्यों के निष्पादन हेतु बनाया गया है। इसका मुख्य कार्य राजस्व प्रकरणों को सुनना, निर्णित करने के लिए शुद्ध रूप से अदालती कार्य करना है। सहायक कलेक्टर वरिष्ठ अदालत के रूप में कार्य करता है।

उपखण्ड अधिकारी : जिला अनेक उपजिलों में बंटा होता है। उप जिले के मुखिया को एस.डी.ओ. अथवा उपजिलाधीश कहते है। यह एस.डी.ओ. जिला और तहसील प्रशासन के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी होता है।इसका प्रमुख कार्य तहसीलों का निरीक्षण करना होता है। प्रत्येक उप जिलाधीश के पास प्रायः एक या दो तहसील अधीन होती है और उपखण्ड अधिकारी इनके सफल प्रशासन के लिए वह जिलाधीश के प्रति उत्तरदायी होता है। तहसीलदार के निर्णयों के विरूद्व उपजिलाधीश के यहाँ अपील की जा सकती है।

तहसील प्रशासनः भू–राजस्व प्रशासन की आधारभूत इकाई तहसील प्रशासन है जो गांव व जिले के बीच एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई है। तहसील प्रशासन भू–राजस्व, न्याय व विकास कार्यों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। राज्य के भौगोलिक विभाजन के आधार पर बनी अन्तिम प्रशासनिक इकाई तहसील है। तहसील विशुद्व रूप से राजस्व प्रशासन के लिए बनाई गई हे। मुगल काल से ही राजस्व प्रशासन में तहसील का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तहसील को कुछ अन्य राज्यों में दूसरे नामों से जाना जाता है, जैसे – तमिलनाडु में इसे 'तालूक' एवं महाराष्ट्र में 'तालूका' कहा जाता है।

पटवारी प्रशासन का अंतिम प्रशासनिक कर्मचारी होता है। भारत में मुगलकाल से ही पटवारी का पद राजस्व प्रशासन का महत्वपूर्ण भाग रहा है। पटवारी किसानों से सम्बन्धित व्यक्ति था जो किसानों के व्यक्तिगत लगान लेना व लेनदेन का हिसाब रखना उसका प्रमुख कर्त्तव्य था।

राज्य एवं केन्द्रीय सरकार से मिलने वाले नीति–निर्देशों को जिला प्रशासन क्रियान्वित करता है किन्तु दूसरी ओर राजनीतिक दृष्टि अपना आधार एवं प्रभाव जिला स्तर से ही ग्रहण करते हैं। पंचायती राज के प्रार्दुभाव ने इस स्तर को और सशक्त किया है और जन प्रतिनिधियों की राजनीति के कारण जिला प्रशासन की नौकरशाही का लोकतंत्रीकरण हुआ है। जिला ही वह स्तर है जहाँ साधारण व्यक्ति प्रशासन के प्रायः सीधे सम्पर्क में आता है। शांति और कानून व्यवस्था की स्थापना तथा विकास योजना के कार्यान्वयन के लिये राज्य में जिले को ही आधारभूत प्रशासनिक इकाई माना गया है।

कुंजी शब्द: राजस्व प्रशासन, भू–राजस्व, जिलाधीश, सहायक कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार

प्रस्तावना:

'जिला' शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता रहा है जैसे – पुलिस जिला, डाक जिला, रेलवे जिला, राजस्व जिला आदि। इन जिलों को पर्याप्त प्रादेशिक विभागों में विभक्त किया गया है। चेम्बरलिन शब्दकोश के अनुसार "जिला राज्य क्षेत्र का उपखण्ड है।"

ऑक्सफोर्ड कंसाइज्ड डिक्सनरी ने जिले को विशेष प्रशासनिक उद्देश्य के लिये निर्धारित दिशा के रूप में परिभाषित किया है। इसका अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द डिस्ट्रिक्ट (क्पेजतपबज) सर्वप्रथम 1776 में कलकत्ता जिले के दीवान के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया था। पूले तथा बर्नेल के शब्दों में जिला उन प्रशासनिक डिस्ट्रिक्टस् का तकनीकी नाम था जिनमें ब्रिटिश भारत विभाजित था। शब्द व्युप्ति के अनुसार यह एक फ्रांसीसी शब्द डिस्ट्रिक्ट (क्पेजतपबजने) से लिया गया है जो स्वयं मध्यकालीन लेटिन शब्द डिस्ट्रिक्ट्स (क्पेजतपबजने) से निकला है। इसका अर्थ न्यायिक प्रशासन के उद्देश्य से बनाया गया प्रदेश है। सन् 1894 में सर जार्ज जैस्त्री ने लिखा था, "फ्रांस में डिपार्टमेन्ट की भांति जिला एक प्रशासनिक इकाई होती है।" डॉ. के.एन.वी. शास्त्री के अनुसार "अंग्रेजों ने यह शब्द फ्रांसीसी प्रीफेक्ट व्यवस्था से ग्रहण किया तथा इसे ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रिय प्रशासन पर लागू किया।"

भारत में जिला प्रशासन 'एक ऐतिहासिक निरन्तरता' है। यहाँ 'जिला' सदा से ही प्रशासन की आधारभूत इकाई रहा हैं जिला प्रशासन का उल्लेख मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रन्थ से लेकर कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मौर्य साम्राज्य, मध्यकाल, मुगलकाल और ब्रिटिश इण्डिया की प्रशासनिक व्यवस्था में स्पष्ट रूप से मिलता है। मौर्यकाल में इसे 'राजूका', मुगलकाल में 'सरकार' तथा ब्रिटिश इण्डिया में पहले सरकार तथा बाद में जिला/डिस्ट्रिक्ट कहना प्रारम्भ किया।

जिला प्रशासन की संरचना (राजस्व):

भारत में जिला प्रशासन की सम्पूर्ण संरचना एक पद सोपान युक्त व्यवस्था के रूप में देखा जा सकता है। राजस्थान के राजस्व प्रशासन में जिला प्रशासन की संरचना निम्न प्रकार है –

1. जिला मुख्यालय – प्रमुख नगर में तथा कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण जिला,
   प्रशासक – जिलाधीश
2. उपखण्ड मुख्यालय – कार्यक्षेत्र उपखण्ड 1–2 तहसील,
   प्रशासक – उपखण्ड अधिकारी
3. तहसील मुख्यालय – कार्यक्षेत्र तहसील
   प्रशासक – तहसीलदार/उप तहसीलदार
4. पटवार क्षेत्र – कार्यक्षेत्र पटवार वृत्त, 1–2 ग्राम पंचायत
   मुख्य कर्मचारी – पटवारी

इस प्रकार राजस्थान में जिला प्रशासन ग्राम स्तर पर पटवारी से आरम्भ होकर तहसील, उपखण्ड तथा जिला मुख्यालय स्तर पर विद्यमान है।

जिला कलेक्टर:

जिला अधिकारियों में सर्वाधिक शक्तिशाली पद जिलाधीश या कलेक्टर का है। उसे जिले का शीर्षस्थ अधिकारी माना जाता है। उसे जिले में विकास का प्रतीक माना जाता है। वह जिले में बहुमुखी गतिविधियों का संचालन करता है।

मौर्यकाल में कलेक्टर को राजुका, मुगलकाल में मनसबदार या फौजदार तथा अंग्रेजों ने जिला निरीक्षक कहना प्रारम्भ किया। 1772 में वारेन हेस्टिग्स ने सर्वप्रथम जिला निरीक्षण (नचमतअपेवत) के स्थान पर कलेक्टर के पद का प्रारम्भ किया तथा 1781 में फौजदार का पद समाप्त कर उसका कार्यभार कलेक्टर को सौंप दिये। 1812 में होल्ड मैकेन्जी ने तथा 1833 में विलियम बैटिक ने कलेक्टर को काफी शक्तिशाली बना दिया।

1935 के अधिनियम के द्वारा कलेक्टर को शक्तिशाली बनाये जाने की सिफारिश की गई। 1944 में रोलेट्स कमेटी द्वारा इस पद को ओर प्रतिष्ठावान बनाने की सिफारिश की गई। सम्पूर्ण अंग्रेजी शासनकाल में जिला स्तर पर कलेक्टर केन्द्रीय शक्ति के रूप में कार्य करता रहा जो कि जिले की समस्त प्रशासनिक क्रियाओं को समन्वित करता था। उसकी महत्ता में लाखो शब्द वासरायों, गर्वनरों तथा शोधकर्त्ताओं द्वारा लिखे गये हैं। ब्रिटिश शासनकाल में कलेक्टर का पद सत्ता, सम्मान और गौरवमय पद था। जिला स्तर पर यह सरकार की समस्त शक्तियों का प्रयोग करता था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् कलेक्टर के पद के महत्व तथा स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कलेक्टर जनता का सेवक बन गया है। ऐसी स्थिति मे कलेक्टर के कार्यों की प्राथमिकताएं पूर्णरूपेण बदल गई है। पहले भू–राजस्व

प्रबंधन, कानून और व्यवस्था की स्थापना करना उसका प्रमुख कार्य था किन्तु अब उसके लिये जन कल्याण तथा विकास से सम्बन्धित कार्य महत्वपूर्ण बन गये हैं।

साधारणतः कलेक्टर भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। वह या तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अथवा राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नत अधिकारी होता है। इसका चयन एवं भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है तथा यह राज्य सरकार के लिये कार्य करता है। 6 से 10 वर्ष की सेवा कर चुके अधिकारी को कलेक्टर बनाया जाता है। उसका वेतन, सेवा शर्तें, आचरण, नियमन आदि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित होते है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के अनुसार उसके कार्यकाल को सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके अनुसार केन्द्र की अनुमति के बिना निलम्बित, हटाया, पदावनत नहीं किया जा सकता।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा द्वारा कलेक्टर को जिले का भू–अभिलेख अधिकारी बनाया गया है।

मुख्य कार्य:

1. राजस्व एकत्रित करना
2. भूमि सुधार
3. कानून व्यवस्था की स्थापना
4. कल्याणकारी कार्य
5. आपदा राहत
6. निर्वाचन संचालन
7. प्रोटोकोल कार्य
8. निरीक्षण व निगरानी
9. विकास एवं पंचायती राज सम्बन्धी कार्य
10. औपचारिक बैठके
11. सामान्य प्रशासन
12. अन्य कार्य

राजस्व प्रशासन के अध्ययन में जिला कलेक्टर के कार्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है –

1. प्रशासनिक कार्य (राजस्व)

1. भू–अभिलेख संबंधी कार्य
2. भूमि आरक्षण
3. भूमि आवंटन
4. सामान्य निरीक्षण व नियंत्रण
5. पटवारियों से सम्बन्धित मामले
6. सामयिक प्रविवेदन प्रस्तुत करना

2 राजस्व न्यायिक कार्य

1. नामान्तरण
2. खातेदारी अधिकार
3. भू–आंवटन
4. भूमि रूपान्तरण
5. उत्तराधिकार
6. सीलिंग कानून
7. अतिक्रमण
8. भूमि आवप्ति
9. मुआवजा

10. बंटवारा
11. सीमा विवाद

इस प्रकार राजस्व प्रशासन में जिला कलेक्टर के प्रशासनिक व न्यायिक कार्यों की विभिन्नता एवं विशालता के कारण ही उसे कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिलाधीश कहा जाता है।

सहायक कलेक्टर:

राजस्व प्रशासन में सहायक कलेक्टर का पद पूर्ण रूप से न्यायिक कार्यों के निष्पादन हेतु बनाया गया है। राजस्थान भू–राजस्व (लैण्ड रेवेन्यू) अधिनियम, 1956 की धारा 20 ख 3 के अनुसार प्रत्येक जिले में सहायक कलेक्टर के पद की स्थापना की गई है। इसका मुख्य कार्य राजस्व प्रकरणों को सुनना, निर्णित करने के लिए शुद्ध रूप से अदालती कार्य करना है।

सहायक कलेक्टर शुद्ध रूप से न्यायिक कार्य सम्पादित करता हैं। वैसे तो यह राजस्व अधिकारी है लेकिन उसे दावे सुनने एवं निर्णित करने के सिवाय अन्य कोई राजस्व कार्य सामान्यतः आवंटित नहीं किया जाता है।

सहायक कलेक्टर कि नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिये चयनित अधिकारी की जाती है। राजस्व कानूनों का बुनियादी ज्ञान देने की दृष्टि से राजस्थान प्रशासनिक सेवा के नए अधिकारियों की साधारणतः प्रथम नियुक्ति सहायक कलेक्टर के रूप में की जाती है। राजस्थान सरकार जिले में कार्यों की अधिकता के कारण सहायक कलेक्टर को निर्वाचन या अन्य विभागों के मुख्यतः प्रशासनिक कार्य भी सौंप सकती है।

सहायक कलेक्टर के कार्य

1. यह काश्तकारी वाद सुनता व निर्णित करता है।
2. उसे राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 27(घ) के अन्तर्गत तहसील की समस्त शक्तियां प्राप्त है।
3. वह राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर आदेशित कार्यों को निष्पादित करता है।
4. वह भू–राजस्व तथा भू–अभिलेख के समस्त वादों की सुनवाई करता है।

उपखंड प्रशासन:

जिला अनेक उपजिलों में बंटा होता है। उप जिले के मुखिया को एस.डी.ओ. अथवा उपजिलाधीश कहते है। यह एस.डी.ओ. जिला और तहसील प्रशासन के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी होता है। उपखण्ड अधिकारी प्रायः आर.ए.एस. अधिकारी होता है। कभी–कभी आई.ए.एस. को भी लगा दिया जाता है। इसका प्रमुख कार्य तहसीलों का निरीक्षण करना होता है। प्रत्येक उप जिलाधीश के पास प्रायः एक या दो तहसील अधीन होती है और उपखण्ड अधिकारी इनके सफल प्रशासन के लिए वह जिलाधीश के प्रति उत्तरदायी होता है। वह माह में एक बार अवश्य ही किसी न किसी तहसील का निरीक्षण करता है। उसे तहसील में भूमि आवंटन का अधिकार होता है। वस्तुतः भूमि आवंटन का कार्य एक समिति करती है। जिसमें सम्बन्धित ग्राम पंचायत का सरपंच, बी.डी.ओ., तहसीलदार, भू–अभिलेख निरीक्षक तथा पटवारी होता है। उपखण्ड अधिकारी इस समिति को परामर्श के उपरान्त अपने निर्णय देता है। तहसीलदार के निर्णयों के विरूद्व उपजिलाधीश के यहाँ अपील की जा सकती है। जहाँ तहसीलदार किसी कार्य को सम्पादित करने में असमर्थ रहता है, तो वह ऐसे मामलों में उपखण्ड अधिकारी की सहायता मांग सकता है। उपखण्ड अधिकारी को प्रायः तहसील सम्बन्धी कार्यों एवं शक्तियो को प्रदत्त कर देता है इसके अतिरिक्त उसे भू–राजस्व अधिनियम तथा काश्तकारी कानून के अन्तर्गत अधिकार प्राप्त होते है। वह तहसील के लोगों के अभाव अभियोगों को सुनता है। वह तहसील स्टॉफ के पद स्थापन तथा उसमें हलका परिवर्तन करता है। संक्षेप में उपखण्ड अधिकारी जिला प्रशासन से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण अधिकारी है।

तहसील प्रशासन

राज्य के भौगोलिक विभाजन के आधार पर बनी अन्तिम प्रशासनिक इकाई तहसील है। तहसील विशुद्ध रूप से राजस्व प्रशासन के लिए बनाई गई हे। मुगल काल से ही राजस्व प्रशासन में तहसील का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तहसील को कुछ अन्य राज्यों में दूसरे नामों से जाना जाता है, जैसे – तमिलनाडु में इसे 'तालूक' एवं महाराष्ट्र में 'तालूका' कहा जाता है।

अरबी शब्द तहसील का अर्थ है – वसूल करने की क्रिया, माल गुजारी वसूल करना। राजस्थान के राजस्व प्रशासन में इस शब्द का उल्लेख सन् 1791 में अलवर राज्य में, सन् 1872 में बीकानेर व अजमेर के राजस्व अभिलेखों में मिलता है। सन् 1949 से यह शब्द

राजस्थान में सर्वत्र प्रचलित हो गया। क्योंकि राजस्टाान टेरिटोरियल डिविजन्स् ऑर्डिनेन्स, 1949 के द्वारा समस्त राजस्थान में तहसीलदार पद का गठन किया गया।

तहसीलदार भू–राजस्व प्रशासन की आधारभूत इकाई तहसील प्रशासन है जो गांव व जिले के बीच एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई है। तहसील प्रशासन भू–राजस्व, न्याय व विकास कार्यों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। तहसील प्रशासन का मुख्य अधिकारी तहसीलदार होता है।

मुख्य रूप से तहसीलदार एव नायब तहसीलदार के भूमि अभिलेखों के बारे में मुख्य कर्त्तव्य निम्नलिखित है –

1. निरीक्षक भूमि अभिलेख का कार्य।
2. ऑफिस कानूनगो के आफिस की देखरेख (सुपरविजन)
3. पटवार स्कूल की, यदि कोई हो, देखरेख।
4. नामान्तरण रिर्पोटों का निपटारा।
5. पटवारियों और कानूनगो से प्राप्त अन्य रिर्पोटों का निपटारा।
6. पटवारियों का वेतन विवरण।
7. खुलासा करने वाले पूरक और आँकड़ो सम्बन्धित विवरण तैयार करना।
8. पटवारी और कानूनगो के प्रपत्रों का इन्डेन्ट तैयार करना।
9. (नियम 24–क के खण्ड ; अपप–क) के अधीन यथापेक्षित निरीक्षण और भौतिक सत्यापन और आवंटन अधिकारी को रिपोर्ट करना।

भू–अभिलेख निरीक्षक:

पटवारियों के कार्यों के निरीक्षण, पर्यवेक्षण तथा उसके कर्त्तव्यों का पालन करवाने के लिए प्रत्येक तहसील को कुछ भू–अभिलेख निरीक्षण वृत्तों में बांटा गया हैं। प्रत्येक वृत्त में 6–10 पटवार हलके होते है। भू–अभिलेख वृत्त का गठन भू–अभिलेख निदेशक राज्य सरकार की पूर्व अनुमति द्वारा करता है। प्रत्येक भू–अभिलेख निरीक्षण वृत्त के लिए एक भू–अभिलेख निरीक्षक की नियुक्ति की जाती है जो भू–अभिलेख निदेशक करता है। यह पटवारियों के लिए मार्गदर्शक व सलाहकार के रूप में कार्य करता है।

भू–अभिलेख निरीक्षक की जिले में नियुक्ति राजस्थान भू–राजस्व (लैण्ड रेवेन्यू) अधिनियम, 1956 की धारा 33 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर द्वारा की जाती है।

पटवारी:

राज्य प्रशासन/राजस्व प्रशासन में अंतिम प्रशासनिक इकाई तहसील होती है। प्रत्येक तहसील विभिन्न पटवार क्षेत्रों में विभाजित होती है। एक तहसील में 30–60 पटवार क्षेत्र होते हैं। पटवार क्षेत्र का प्रमुख अधिकारी पटवारी होता है। इसका मुख्यालय पटवार क्षेत्र के एक बड़े गांव में होता है। पटवारी प्रशासन का अंतिम प्रशासनिक कर्मचारी होता है।

भारत में मुगलकाल से ही पटवारी का पद राजस्व प्रशासन का महत्वपूर्ण भाग रहा है। पटवारी किसानों से सम्बन्धित व्यक्ति था जो किसानों के व्यक्तिगत लगान लेना व लेनदेन का हिसाब रखना उसका प्रमुख कर्त्तव्य था।

सन् 1873 ई. के राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पटवारी को राजस्व प्रशासन के सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारी बनाया गया है। स्वतंत्रता पश्चात् राजस्थान में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1958 की धारा 30 के अन्तर्गत पटवार हल्के बनाया व उसमें परिवर्तन किया जाता है तथा इसी की धारा 31 के द्वारा पटवारी की नियुक्ति की जाती है।

पटवारी को विभिन्न राज्यों में अलग–अलग नामों से भी पुकारा जाता है। जैसे तमिलनाडु में 'कारनाम', महाराष्ट्र में 'तलैटी' व उत्तरप्रदेश में 'लेखपाल' कहा जाता है। वर्तमान में राजस्थान में कुल 10040 पटवारी के पद है जो विभिन्न तहसीलों में कार्यरत है।

निष्कर्ष:

आलोकरंजन के अनुसार "जिला प्रशासन का ढांचा अंग्रेजों ने तैयार किया था और यह समय की कसौटी पर खरा उतरा है। यहाँ तक कि प्रबन्धन की ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ पीटर ड्रकर ने भी इस प्रणाली की प्रशंसा की है और आधुनिक प्रबंधकों को इसका अनुसरण करने को कहा है। इस प्रणाली का उद्देश्य था – यथास्थिति को बनाये रखना और यह इस कार्य में पूरी तरह सफल साबित हुई है। इस प्रणाली ने लोकतंत्र और विकास के प्रति प्रतिबद्व, राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार खुद को ढाला लिया है।

स्वतंत्रता उपरांत जिला क्षेत्रीय प्रशासन की मुख्य इकाई बना रहा। यहाँ तक कि भारतीय संविधान में भी जिले की प्रशासनिक इकाई बनाने का उल्लेख नहीं है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 15(i)(ii) के अनुसार सरकार प्रशासनिक सुविधानुसार जिलों का निर्धारण कर सकती है तथा धारा 16 कख द्वारा नये जिले का गठन, परिवर्तन या सीमा निर्धारण कर सकती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ:

1. डॉ. प्रकाश इन्दालिया, शोध प्रबंध राजस्थान में राजस्व प्रशासन का संगठनात्मक एवं कार्यात्मक अध्ययन लोक प्रशासन, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर 2012
2. सुखवीर सिंह गहलोत, राजस्थान में राजस्व प्रशासन, राविरा अंक 85, राजस्व मण्डल राजस्थान
3. रिपोर्ट ऑन दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राजस्थान, (1964–65), गवर्मेन्ट सेन्ट्रल प्रेस, नई दिल्ली
4. 1958बी.एल. फडिया, भारत में लोक प्रशासन, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2000
5. रमेश अरोडा, गीता चतुर्वेदी, भारत में राज्य प्रशासन, आर.बी.एस.ए. पब्लिकशर्स, जयपुर 1997
6. गिरवरसिंह राठौड, भूमि विधियों एवं राजस्व न्यायालय प्रशासन 2008 पंचशील प्रकाशन, जयपुर
7. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (तहसीलदार, नायब तहसीलदारों के कर्तव्य) नियम 348,
8. सांवतमल माथुर व मानसिंह राष्ट्रवर, बाफना पब्लिशिंग हाउस, जयपुर
9. बी.एल. फडिया, लोक प्रशासन, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2002
10. रमेश दुबे एवं हरिशचन्द्र शर्मा, भारत में लोक प्रशासन, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 1997
11. एस.एस.खेडा, भारत में जिला प्रशासन, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1979
12. दुर्गालाल बाढदार, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, डोमिनियन लॉ डिपो, जयपुर (2005)
13. हरिशचन्द्र शर्मा, भारत में राज्य प्रशासन, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 1979
14. गोपालदास, राजस्थान में राजस्व की बहुस्तरीय न्यायिक व्यवस्था, राविरा, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर,अंक 85
15. जे.डी. शुक्ला स्टेट एण्ड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1976
16. निष्पादक आय–व्ययक, 2009–10, राजस्व मण्डल, अजमेर
17. एस.के. दत्त व सुनिता दाधिच, राजस्थान काश्तकारी, अधिनियम, 1955, वेस्टर्न लॉ पब्लिशर्स, जयपुर 1997
18. सांवतमल माथुर एवं मानसिंह राष्ट्रवर, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (तहसीलदार, नायब तहसीलदारों के कर्तव्य), बाफना पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर,1958
19. वार्षिक प्रतिवेदन, 2009–10, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर